(672)

संख्या: 2098/68-5-2019

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी
समस्त जनपद, उ०प्र०।
2. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ०प्र०।

6396
31/12/19

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक: 30 दिसम्बर, 2019

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक-अध्यापक बैठक एवं वार्षिकोत्सव आयोजित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। स्थानीय स्तर पर विद्यालय की गतिविधियों एवं निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत विभिन्न हकदारियों आदि पर निगरानी की व्यवस्था एवं सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावक-अध्यापक बैठक (Parent Teacher Meeting) एवं विद्यालयों में वार्षिकोत्सव आयोजित कराने की उच्च स्तर पर आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

2- अभिभावकों एवं अध्यापकों की नियमित बैठक करने से छात्र-छात्राओं के अधिगम स्तर, व्यवहार संबंधी रिपोर्ट, प्रगति एवं अन्य क्रियाकलाप आदि के संबंध में चर्चा की जा सकेगी। राज्य सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं यथा-पाठ्य-पुस्तकें, यूनीफार्म, स्कूल बैग, स्वेटर एवं जूते-मोजे आदि की जानकारी अभिभावकों को भी हो सकेगी। इसके अतिरिक्त परिषदीय विद्यालयों में वार्षिकोत्सव आयोजित कराये जाने का निर्णय भी लिया गया है।

3- उक्त के संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैः-

अभिभावक-अध्यापक बैठक (PTM)-

(1) समस्त परिषदीय विद्यालयों मे अभिभावक-अध्यापक बैठक की त्रैमासिक बैठक माह जनवरी, अप्रैल, जुलाई एवं अक्टूबर के दूसरे सोमवार को विद्यालय में प्रातः 11:00 बजे से 12:00 बजे के मध्य आयोजित करायी जाये। सोमवार को अवकाश होने की स्थिति में बैठक अगले कार्यदिवस में आयोजित करायी जाये।

(2) विद्यालय के समस्त अध्यापकों की उपस्थिति बैठक में अनिवार्य होगी।

(3) प्रधानाध्यापक/प्रभारी द्वारा अभिभावकों को बैठक में बुलाने हेतु दो दिवस पूर्व ही छात्रों की नोटबुक में लिखित रूप से अभिभावकों को सूचित किया जायेगा।

APD(KB) | UIC(CM)
SPD 30/12/19
UIC (CM)
A.P.D.
Mr. R. Singh
2.1.20

Raj-Letter-1505.doc

Scanned by CamScanner
Scanned with CamScanner

(ख) <u>बैठक का एजेण्डा–</u>

अभिभावकों को प्रधानाध्यापक/अध्यापक द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर जानकारी दी जाये:–

(1) छात्र–छात्राओं की विद्यालय में उपस्थिति के संबंध में अवगत कराया जाये तथा चर्चा की जाये।

(2) छात्र–छात्राओं के परीक्षाफल (सतत, व्यापक एवं मूल्यांकन प्रगति–पत्र), व्यवहार संबंधी रिपोर्ट, प्रगति एवं अन्य क्रियाकलाप आदि के संबंध में चर्चा की जाये।

(3) शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापरक शिक्षा में छात्र–छात्राओं के लर्निंग आउटकम एवं अध्यापन कार्य हेतु किये जा रहे तकनीकी उपयोग/अनूठा प्रयास जैसे– दीक्षा एप आदि की जानकारी दी जाये।

(4) विद्यालय में आयोजित की जा रही अन्य गतिविधियाँ यथा–खेलकूद, विभिन्न प्रतियोगितायें, योग, किचेन गार्डेन की स्थापना, इको क्लब, जल संरक्षण, पोषण अभियान, हैण्ड वाशिंग, जिला स्तर पर रैली, बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु मीना मंच, प्रभात फेरी, छात्र–छात्रों में आयरन की कमी दूर करने हेतु फोलिक एसिड की गोलियाँ तथा डीवार्मिंग की गोली दिया जाना आदि के संबंध में जागरूक किया जाये। तद्नुसार सामुदायिक सहयोग हेतु प्रेरित किया जाये।

(5) विद्यालय स्तर पर छात्र–छात्राओं के चिकित्सीय परीक्षण की जानकारी दी जाये।

(6) विद्यालय में बच्चों को उपलब्ध करायी जा रही निःशुल्क सुविधाओं यथा–पाठ्य पुस्तकें, यूनीफार्म, स्कूल बैग, जूते मोजे, स्वेटर, मिड–डे–मील आदि के बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाये एवं चर्चा की जाये।

(7) विद्यालय में छात्र–छात्रों हेतु उपलब्ध आवश्यक मूलभूत सुविधाओं यथा– बालक–बालिकाओं हेतु पृथक–पृथक शौचालय, फर्नीचर, सुव्यवस्थित कक्षा–कक्ष, आवश्यक शैक्षिक सामग्री/उपकरण आदि के बारे में अभिभावकों को अवगत कराया जाये।

(8) अभिभावकों से विद्यालय के शैक्षिक वातावरण एवं गुणवत्तापरक शिक्षा के संबंध में जानकारी प्राप्त किया जाये तथा छात्र–छात्राओं में नैतिक मूल्यों एवं स्वच्छता की आदत विकसित किये जाने हेतु प्रेरित किया जाये।

विद्यालय स्तर पर बैठक हेतु पंजिका रखी जाये, जिसमें बैठक के आयोजन से संबंधित एजेण्डा एवं कार्यवाही दर्ज की जाये। प्रधानाध्यापक द्वारा पंजिका का रख–रखाव किया जायेगा।

(ग) <u>वार्षिकोत्सव का आयोजन–</u>

छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास एवं उत्साहजनक वातावरण सृजन हेतु तथा बच्चों की प्रतिभा को पहचानने के लिये माह फरवरी में विद्यालय का वार्षिकोत्सव मनाये जाने हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित किये जाये:–

(1) प्रधानाध्यापक/प्रभारी द्वारा अभिभावकों को वार्षिकोत्सव हेतु एक सप्ताह पूर्व आमंत्रण–पत्र/सूचना छात्र–छात्राओं के माध्यम से दी जाये।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

(2) वार्षिकोत्सव के दिन छात्रों के प्रस्तुतीकरण हेतु मंच, एवं अभिभावकों के बैठने की समुचित व्यवस्था की जाये।

(3) वार्षिकोत्सव में खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों यथा–संगीत, चित्रकला, कविता, कहानी आदि में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाये।

(4) मीना मंच की बालिकाओं तथा अन्य छात्रों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों/लघु नाटिका के माध्यम से अभिभावकों को स्वच्छता, पोषण, शिक्षा, पर्यावरण, जल संरक्षण, प्लास्टिक का उपयोग न करना, जीव–जन्तुओं पर दया, पौधे/वृक्षों की देखभाल एवं लैंगिक समानता आदि के संबंध में जानकारी देकर प्रेरित किया जाये।

(5) विद्यालय के वार्षिकोत्सव में क्षेत्र के समाज सेवक, प्रोफेसर/शिक्षक, खेल एवं लोक संगीत के क्षेत्रों के स्थानीय संभ्रान्त व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाये।

अभिभावक–अध्यापक बैठक एवं वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु विद्यालयों को उपलब्ध करायी जाने वाली समग्र शिक्षा के अंतर्गत कंपोजिट ग्रान्ट में से प्रति विद्यालय अधिकतम 10 प्रतिशत धनराशि अभिभावक–अध्यापक बैठक एवं वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु विद्यालयों द्वारा व्यय किया जायेगा।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार अपने जनपद में परिषदीय विद्यालयों में अभिभावक–अध्यापक बैठक एवं वार्षिकोत्सव का आयोजन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

30/5/19

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
2– राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश।
3– मंडलायुक्त समस्त मंडल, उत्तर प्रदेश।
4– मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना, गोमती नगर, लखनऊ।
6– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
7– निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी., लखनऊ।
8– मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
9– खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10– प्रधानाध्यापक/प्रभारी–समस्त प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(उमेश कुमार तिवारी)

अनु सचिव।

Raj-Letter-2505.doc

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner